



कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)

दूरभाष क्रमांक 07868-241559 (घर.) फैक्स 241490 ई-मेल आईडी sp-kanker.cg@nic.in

// आवेष्टा //

छत्तीसगढ़ शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ 3-13/2021/गृह-दो नया रायपुर, अटल नगर दिनांक 14.07.2022 के तहत बस्तर संभाग के जिलों में बस्तर फाईटर्स नाम विशेष बल के गठन हेतु नवीन पदों का सृजन किया गया तथा उक्त स्वीकृत पदों पर छत्तीसगढ़ शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर के अधिसूचना क्रमांक एफ 2-69/गृह-दो/2020 दिनांक 16.09.2022 के तहत छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक बल (बस्तर फाईटर्स), फाईटर्स आरक्षक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तों) नियम, 2021 भर्ती नियम प्रावधानित किया गया है।

पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज जगदलपुर द्वारा जिला कांकेर हेतु आरक्षक बस्तर फाईटर्स पद के लिये घयन समिति गठित किया गया। समिति द्वारा जिला मुख्यालय कांकेर में आरक्षक बस्तर फाईटर्स भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2021-22 आयोजित किया गया। समिति द्वारा तैयार घयन सूची पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज, जगदलपुर के अनुमोदन उपरान्त जारी किया गया है।

घयन सूची में घयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन पूर्व उनके द्वारा प्रस्तुत शपथ के आधार पर (चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में योग्य पाये जाने की प्रत्याशा में) तथा स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट में शासकीय सेवा के योग्य (फिट) पाये जाने उपरान्त इन्हें छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक बल (बस्तर फाईटर्स), फाईटर्स आरक्षक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तों) नियम, 2021 की कडिका 7(1) के परिपालन में निम्नलिखित शर्तों के अर्थात् आगामी आदेश पर्यन्त अस्थाई तौर पर रक्षित केन्द्र कांकेर में आमद दिनांक से आरक्षक (बस्तर फाईटर्स) के पद पर नियुक्त किया जाता है:-

01. आरक्षक (बस्तर फाईटर्स) के पद पर वेतनमान रूपये 19500-62000/- वेतन लेवल-4 तथा शासन द्वारा समय-समय पर देय मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
02. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2017/1/3 अटल नगर, दिनांक 28.07.2020 के परिपालन में 03 वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे।
03. छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग की वित्त निर्देश 21/2020 क्रमांक 372/260/वि/नि/चार/2020 नया रायपुर अटल नगर दिनांक 29.07.2020 के परिपालन में परिवीक्षा अवधि के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः वेतनमान के न्यूनतम का 70%, 80% एवं 90% राशि स्टायपेण्ड के रूप में देय होगा। परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे।
04. छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थाई/अर्ध स्थाई) सेवा नियम 1960 के उप नियम 12 के अनुसार किसी भी समय किसी भी एक पक्ष के द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
05. एक माह का नोटिस दिये बिना व उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्त 04 के अंतर्गत देय रकम उस व्यक्ति के देय रकम उसकी देय राशियों एवं बकाया राशि भू-राजस्व से वसूल की जावेगी।
06. छत्तीसगढ़ शासन का ज्ञापन क्रमांक 202/एफ 2016-04-03289/वित्त/नियम/चार, दिनांक 08.04.2022 (वित्त निर्देश 07/2022) एवं क्रमांक 244/एफ 2016-04-03289/वित्त/नियम/चार, दिनांक 26.04.2022 (वित्त निर्देश 08/2022) के अनुसार छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि (CGPF) लागू होगा।
07. यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisional) है तथा जाति/जनजाति प्रमाण पत्र उचित माध्यमों से सत्यापित किए जाने के अधीन है और सत्यापन करने पर यदि पता चलता है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित



Principal

Govt. Maharsi Vaidiki P. G. College
Phanpratappur, Dist. - U. B. Kanker (C.G.)

जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग जैसा भी मागला हो, से सम्बन्ध होने का वादा हुआ है, तो बिना कोई कारण बताए तथा सूटा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय बैंड सहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत वेग्री कार्यवाही जो की जा सकती है संबंधी कार्यवाही को अतिरिक्त संबंधित की सेवाये समाप्त कर दी जाएगी।

08. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जानकारी किसी सारभूत तथ्य को संबंध में असत्य या अपूर्ण पायी जाती है तो भी नियुक्तकर्ता द्वारा बिना कारण बताये सेवाये समाप्त कर दी जावेगी।

09. यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisional) है एवं शर्त (Conditional) है। अतः चरित्र सत्यापन के घोषणा पत्र/अनुप्रमाणन फार्म में अगर उम्मीदवार द्वारा असत्य जानकारी दी जाती है या कोई तथ्य छिपाया जाता है या सत्यापन के पश्चात् एडवर्स रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो इनकी सेवाये बिना पूर्व सूचना या नोटिस के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी, भुगतान की गई वेतन की यमुली की कार्यवाही की जावेगी तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही बंधनकारी होगी।

रोल नं०	घयन सूची क्र० व वर्ग	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	पता	जन्मतिथि	लिंग	वर्ग	शिक्षा	टिप्पणियाँ
10458	36-अना०	विश्वनाथ	मंगल राम	ग्राम-काठी बरपट्टरी पाण पो० सम्बलपुर तह० भानुप्रतापपुर जिला कांकेर	18-04-1993	M	GEN	बनासना	

(शलभ कुमार सिन्हा) ज्ये.
पुलिस अधीक्षक,
उत्तर बस्तर कांकेर

क्र०/पु.अ./कांकेर/स्थापना/आरक्षक बस्तर फाईटर्स/नियुक्ति/A-692/2022, दिनांक 01/09/2022
प्रतिलिपि:-

01. पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
02. पुलिस उप महानिरीक्षक कांकेर रेंज, कांकेर की ओर सादर सूचनार्थ।
03. सहायक पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
04. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कांकेर/अंतागढ़/पखांजूर को सूचनार्थ।
05. समस्त अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) जिला कांकेर को सूचनार्थ।
06. रक्षित निरीक्षक कांकेर को ओ.बी. हेतु।
07. रक्षित निरीक्षक कांकेर को सूचनार्थ। अभ्यर्थियों का आमद लेकर रिपोर्ट इस कार्यालय को तत्काल प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
08. सर्व शाखा प्रभारी पुलिस कार्यालय कांकेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
09. अभ्यर्थी को सूचनार्थ एवं तत्काल अपनी उपस्थित रक्षित केन्द्र कांकेर में देना सुनिश्चित करें।



Principal
Govt. Maharsih Vastrikal P. G. College
Bhanupratappur, Dist. - U. B. Kanker (C.G.)

पुलिस अधीक्षक
उत्तर बस्तर कांकेर

जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग जैसा भी मामला हो, से सम्बन्ध होने का दावा झूठा है, तो बिना कोई कारण बताए तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसी कार्यवाही जो की जा सकती है संबंधी कार्यवाही के अतिरिक्त संबंधित की सेवाये समाप्त कर दी जाएगी।

08. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जानकारी किसी सारभूत तथ्य के संबंध में असत्य या अपूर्ण पायी जाती है तो भी नियुक्तिकर्ता द्वारा बिना कारण बताये सेवाये समाप्त कर दी जावेगी।
09. यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisional) है एवं सशर्त (Conditional) है। अतः चरित्र सत्यापन के घोषणा पत्र/अनुप्रमाणन फार्म में अगर उम्मीदवार द्वारा असत्य जानकारी दी जाती है या कोई तथ्य छिपाया जाता है या सत्यापन के पश्चात् एडवर्स रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो इनकी सेवाये बिना पूर्व सूचना या नोटिस के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी, भुगतान की गई वेतन की वसुली की कार्यवाही की जायेगी तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही बंधनकारी होगा।

रोल नं०	वयन सूची का ब वर्ग	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	पता	जन्मतिथि	लिंग	वर्ग	शिक्षा	रिजर्व
20791	19-अपेक्ष	सतीश कुमार	गोकुल राम	इम + को. हाथोवत तह. पुणेकेत जिला कांकेर	10-04-2002	M	OBC	12वीं	

वे.सं.
22/3/25

(सतीश कुमार सिन्हा)
पुलिस अधीक्षक,
उत्तर बस्तर कांकेर

क्र०/पु.अ./कांकेर/स्थापना/आरक्षक बस्तर फाईटर्स/नियुक्ति/A-E36/2022, दिनांक 01/09/2022
प्रतिलिपि:-

01. पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज जगदलपुर की ओर सादर सूचनायें।
02. पुलिस उप महानिरीक्षक कांकेर रेंज, कांकेर की ओर सादर सूचनायें।
03. सहायक पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय तथा रामपुर की ओर सूचनायें।
04. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कांकेर/अंतगढ़/पखोजूर को सूचनायें।
05. समस्त अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) जिला कांकेर को सूचनायें।
06. रजिस्ट्रार कांकेर को ओ.बी. हेतु।
07. रजिस्ट्रार कांकेर को सूचनायें। अभ्यर्थियों का आमद लेकर रिपोर्ट इस कार्यालय को तत्काल प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
08. सर्व शाखा प्रभारी पुलिस कार्यालय कांकेर को सूचनायें एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
09. अभ्यर्थी को सूचनायें एवं तत्काल अपनी उपस्थित रजिस्ट्रार कांकेर में देना सुनिश्चित करें।



Principal
Govt. Maharsini Vaidya P. G. College
Bhanupratappur, Dist. - U. B. Kanker (C.G.)

(सतीश कुमार सिन्हा)
पुलिस अधीक्षक
उत्तर बस्तर कांकेर

जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग जैसा भी मामला हो, से सम्बन्ध होने का दावा झूठा है, तो बिना कोई कारण बताए तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसी कार्यवाही जो की जा सकती है संबंधी कार्यवाही के अतिरिक्त संबंधित की सेवाये समाप्त कर दी जाएगी।

08. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जानकारी किसी सारभूत तथ्य के संबंध में असत्य या अपूर्ण पायी जाती है तो भी नियुक्तिकर्ता द्वारा बिना कारण बताये सेवाये समाप्त कर दी जावेगी।

09. यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisional) है एवं शर्त (Conditional) है। अतः चरित्र सत्यापन के घोषणा पत्र/अनुप्रमाणन फार्म में अगर उम्मीदवार द्वारा असत्य जानकारी दी जाती है या कोई तथ्य छिपाया जाता है या सत्यापन के पश्चात् एडवर्स रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो इनकी सेवाये बिना पूर्व सूचना या नोटिस के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी, भुक्तान की गई वेतन की वसुली की कार्यवाही की जायेगी तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही बंधनकारी होगा।

रोल नं०	घयन सूची का वर्ग	अभ्यर्थी का नाम	रिक्त का नाम	पता	जन्मतिथि	लिंग	वर्ग	शिक्षा	रिमांक
40253	20-अना०	अमन कोड़ोपी	परस राम कोड़ोपी	इल-परस, को-कोटी, तल्ल-मन्जुलपुर जिला कांकेर	17-04-2002	M	ST	12वीं	

प.स. ०१६३

(शरम कुमार सिन्हा) ज्ये.
पुलिस अधीक्षक,
उत्तर बस्तर कांकेर

क्र०/पु.अ./कांकेर/स्थापना/आरक्षक बस्तर फाईटर्स/नियुक्ति/A-677/2022, दिनांक 01/09/2022
प्रतिलिपि:-

01. पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
02. पुलिस उप महानिरीक्षक कांकेर रेंज, कांकेर की ओर सादर सूचनार्थ।
03. सहायक पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
04. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कांकेर/अंतागढ़/पखांजूर को सूचनार्थ।
05. समस्त अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) जिला कांकेर को सूचनार्थ।
06. रक्षित निरीक्षक कांकेर को ओ.बी. हेतु।
07. रक्षित निरीक्षक कांकेर को सूचनार्थ। अभ्यर्थियों का आमद लेकर रिपोर्ट इस कार्यालय को तत्काल प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
08. सर्व शाखा प्रभारी पुलिस कार्यालय कांकेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
09. अभ्यर्थी को सूचनार्थ एवं तत्काल अपनी उपस्थित रक्षित केंद्र कांकेर में देना सुनिश्चित करें।



Govt. Maharsi Vaidya P. G. College
Bhanupratappur, Dist. - U. B. Kankeer (C.G.)

पुलिस अधीक्षक
उत्तर बस्तर कांकेर

जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग जैसा भी मामला हो, से सम्बन्ध होने का दावा झूठा है, तो बिना कोई कारण बताए तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसी कार्यवाही जो की जा सकती है संबंधी कार्यवाही के अतिरिक्त संबंधित की सेवायें समाप्त कर दी जाएगी।

08. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जानकारी किसी सारभूत तथ्य के संबंध में असत्य या अपूर्ण पायी जाती है तो भी नियुक्तिकर्ता द्वारा बिना कारण बताये सेवायें समाप्त कर दी जावेगी।
09. यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisional) है एवं सशर्त (Conditional) है। अतः चरित्र सत्यापन के घोषणा पत्र/अनुप्रमाणन फार्म में अगर उम्मीदवार द्वारा असत्य जानकारी दी जाती है या कोई तथ्य छिपाया जाता है या सत्यापन के पश्चात् एडवर्स रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो इनकी सेवायें बिना पूर्व सूचना या नोटिस के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी, भुगतान की गई वेतन की वसुली की कार्यवाही की जायेगी तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही बंधनकारी होगा।

रोल नं०	व्यय सूची क्र० व वर्ग	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	पता	जन्मतिथि	लिंग	वर्ग	शिक्षा	रिमाक
40483	115-अज्जा	प्रमोद कुमार	हिरु राम	ग्राम- विनायकपुर पो हाटकोदल तह० भानुप्रतापपुर जिला-कांकेर	04-09-2002	M	ST	12वीं	

पु.अ.
०१/६

(शालभ कुमार सिन्हा) मन्त्रे.
पुलिस अधीक्षक,
उत्तर बस्तर कांकेर

क्र०/पु.अ./कांकेर/स्थापना/आरक्षक बस्तर फाईटर्स/नियुक्ति/ A-821 /2022, दिनांक ०१/०९/२०२२
प्रतिलिपि:-

01. पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
02. पुलिस उप महानिरीक्षक कांकेर रेंज, कांकेर की ओर सादर सूचनार्थ।
03. सहायक पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
04. अति० पुलिस अधीक्षक कांकेर/अंतागढ़/पखांजूर को सूचनार्थ।
05. समस्त अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) जिला कांकेर को सूचनार्थ।
06. रक्षित निरीक्षक कांकेर को ओ.बी. हेतु।
07. रक्षित निरीक्षक कांकेर को सूचनार्थ। अभ्यर्थियों का आमद लेकर रिपोर्ट इस कार्यालय को तत्काल प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
08. सर्व शाखा प्रभारी पुलिस कार्यालय कांकेर को सूचनार्थ-एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
09. अभ्यर्थी
को सूचनार्थ एवं तत्काल अपनी उपस्थित रक्षित केन्द्र कांकेर में देना सुनिश्चित करें।



B.S.
Principal

Govt. Maharshi Valmiki P.G. College
Bhanupratappur, Dist. - U.B. Kanker (C.G.)

B.S.
पुलिस अधीक्षक
उत्तर बस्तर कांकेर

जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग जैसा भी मामला हो, से सम्बन्ध होने का दावा झूठा है, तो बिना कोई कारण बताए तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसी कार्यवाही जो की जा सकती है संबंधी कार्यवाही के अतिरिक्त संबंधित की सेवायें समाप्त कर दी जाएगी।

08. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जानकारी किसी सारभूत तथ्य के संबंध में असत्य या अपूर्ण पायी जाती है तो भी नियुक्तिकर्ता द्वारा बिना कारण बताये सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।
09. यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisional) है एवं शर्त (Conditional) है। अतः चरित्र सत्यापन के घोषणा पत्र/अनुप्रमाणन फार्म में अगर उम्मीदवार द्वारा असत्य जानकारी दी जाती है या कोई तथ्य छिपाया जाता है या सत्यापन के पश्चात् एडवर्स रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो इनकी सेवायें बिना पूर्व सूचना या नोटिस के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी, भुगतान की गई वेतन की वसुली की कार्यवाही की जायेगी तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही बंधनकारी होगा।

रोल नं०	घषन सूची का वर्ग	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	पता	जन्मतिथि	लिंग	वर्ग	शिक्षा	रिपोर्ट
43125	99-अजजा	रामकिशोर	अज्जुराम	ग्राम+पो. देवरी तह. भानुपुर जिला कांकेर	14-06-1996	M	ST	स्नातक	

उपरोक्त
२२८१

(शालम कुमार सिन्हा) मुख्य
पुलिस अधीक्षक,
उत्तर बस्तर कांकेर

क्र०/पु.अ./कांकेर/स्थापना/आरक्षक बस्तर फाईटर्स/नियुक्ति/ A- 810 /2022, दिनांक 01/09/2022
प्रतिलिपि:-

01. पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
02. पुलिस उप महानिरीक्षक कांकेर रेंज, कांकेर की ओर सादर सूचनार्थ।
03. सहायक पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
04. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कांकेर/अंतागढ़/पखांजूर को सूचनार्थ।
05. समस्त अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) जिला कांकेर को सूचनार्थ।
06. रक्षित निरीक्षक कांकेर को ओ.बी. हेतु।
07. रक्षित निरीक्षक कांकेर को सूचनार्थ। अभ्यर्थियों का आमद लेकर रिपोर्ट इस कार्यालय को तत्काल प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
08. सर्व शाखा प्रभारी पुलिस कार्यालय कांकेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
09. अभ्यर्थी को सूचनार्थ एवं तत्काल अपनी उपस्थित रक्षित केन्द्र कांकेर में देना सुनिश्चित करें।



Principal
Govt. Maharsih Velmiki P. G. College
Bhanupratappur, Dist. - U. B. Kanker (C.G.)

पुलिस अधीक्षक
उत्तर बस्तर कांकेर

- जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग जैसा भी मामला हो, से सम्बन्ध होने का दावा झूठा है, तो बिना कोई कारण बताए तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत गैरी कार्यवाही जो की जा सकती है संबंधी कार्यवाही के अतिरिक्त संबंधित की सेवायें समाप्त कर दी जाएगी।
08. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जानकारी किसी सारभूत तथ्य के संबंध में असत्य या अपूर्ण पायी जाती है तो भी नियुक्तिकर्ता द्वारा बिना कारण बताये सेवायें समाप्त कर दी जाएगी।
09. यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisional) है एवं सशर्त (Conditional) है। अतः चरित्र सत्यापन के घोषणा पत्र/अनुप्रमाणन फार्म में अगर उम्मीदवार द्वारा असत्य जानकारी दी जाती है या कोई तथ्य छिपाया जाता है या सत्यापन के पश्चात् एडवर्स रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो इनकी सेवायें बिना पूर्व सूचना या नोटिस के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी, भुगतान की गई वेतन की यमुली की कार्यवाही की जायेगी तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही बंधनकारी होगा।

रोल नं०	बचन सूची क्र० व वर्ग	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	पता	जन्मतिथि	लिंग	वर्ग	शिक्षा	रिमांक
44951	113-अखण्ड	दीपक दरपट्टी	शिव कुमार	राम कपड़ी दरपट्टीबहा को सम्बलपुर जिला खनुप्रतापुर जिला कंकर	15-03-2001	M	ST	12वीं	

रजि. नं.
२०९५

(शलम कुमार सिन्हा) प्रमुख
पुलिस अधीक्षक,
उत्तर बस्तर कांकर

क्र०/पु.ज./कांकर/स्थापना/आरक्षक बस्तर फाईटर्स/नियुक्ति/A-653 /2022, दिनांक 01/09/2022
प्रतिलिपि:-

01. पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
02. पुलिस उप महानिरीक्षक कांकर रेंज, कांकर की ओर सादर सूचनार्थ।
03. सहायक पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
04. जति० पुलिस अधीक्षक कांकर/अंतागढ़/पखांजूर को सूचनार्थ।
05. समस्त अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) जिला कांकर को सूचनार्थ।
06. रक्षित निरीक्षक कांकर को ओ.वी. हेतु।
07. रक्षित निरीक्षक कांकर को सूचनार्थ। अभ्यर्थियों का आमद लेकर रिपोर्ट इस कार्यालय को तत्काल प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
08. सर्व शाखा प्रभारी पुलिस कार्यालय कांकर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
09. अभ्यर्थी
को सूचनार्थ एवं तत्काल अपनी उपस्थित रक्षित केन्द्र कांकर में देना सुनिश्चित करें।



Principal
Govt. Maharuhi Velmudi P. G. College
Ehanupratappur, Dist. - U. B. Kankar (C.G.)

पुलिस अधीक्षक
उत्तर बस्तर कांकर

जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग जैसा भी मामला हो, से सम्बन्ध होने का दावा झूठा है, तो बिना कोई कारण बताए तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसी कार्यवाही जो की जा सकती है संबंधी कार्यवाही के अतिरिक्त संबंधित की सेवायें समाप्त कर दी जाएगी।

08. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जानकारी किसी सारभूत तथ्य के संबंध में असत्य या अपूर्ण पायी जाती है तो भी नियुक्तिकर्ता द्वारा बिना कारण बताये सेवायें समाप्त कर दी जावेगी।

09. यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisional) है एवं सशर्त (Conditional) है। अतः चरित्र सत्यापन के घोषणा पत्र/अनुप्रमाणन फार्म में अगर उम्मीदवार द्वारा असत्य जानकारी दी जाती है या कोई तथ्य छिपाया जाता है या सत्यापन के पश्चात् एडवर्स रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो इनकी सेवायें बिना पूर्व सूचना या नोटिस के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी, भुगतान की गई वेतन की वसुली की कार्यवाही की जायेगी तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही बंधनकारी होगा।

रोल नं०	चयन सूची का व वर्ग	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	पता	जन्मतिथि	लिंग	वर्ग	शिक्षा	रिमांक
45212	90-अजजा	उत्तम कुमार	पीलू राम	ग्राम कराही पो० सम्बलपुर, तह० भानुप्रतापपुर, थाना भानु जिला कांकेर	20-01-2001	M	ST	12वीं	

(शशिकांत कुमार सिन्हा) प्रभुसे.

पुलिस अधीक्षक,
उत्तर बस्तर कांकेर

क्र०/पु.अ./कांकेर/स्थापना/आरक्षक बस्तर फाईटर्स/नियुक्ति/ 11-802-2022, दिनांक 01/09/2022
प्रतिलिपि:-

01. पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
02. पुलिस उप महानिरीक्षक कांकेर रेंज, कांकेर की ओर सादर सूचनार्थ।
03. सहायक पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
04. अति० पुलिस अधीक्षक कांकेर/अंतागढ़/पखाजूर को सूचनार्थ।
05. समस्त अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) जिला कांकेर को सूचनार्थ।
06. रक्षित निरीक्षक कांकेर को ओ.बी. हेतु।
07. रक्षित निरीक्षक कांकेर को सूचनार्थ। अभ्यर्थियों का आमद लेकर रिपोर्ट इस कार्यालय को तत्काल प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

08. सर्व शाखा प्रभारी पुलिस कार्यालय कांकेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

09. अभ्यर्थी को सूचनार्थ एवं तत्काल अपनी उपस्थित रक्षित केंद्र कांकेर में देना सुनिश्चित करें।



Principal
Govt. Maharehi Valmiki P. G. College
Ghanupratappur, Dist. - U. B. Kanker (C.G.)

पुलिस अधीक्षक
उत्तर बस्तर कांकेर